सूचना प्रौद्योगिकी अधनियिम की धारा 69ए

प्रलिम्सि के लयि:

अभिव्यक्त किी स्वतंत्रता का अधिकार, साइबर अपराध

मेन्स के लयि:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियिम की धारा 69ए और मध्यस्थ

चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियिम, 2000 की धारा 69ए के तहत** ट्विटिर (माइक्रोब्लॉगिग साइट) से कुछ पोस्ट हटाने के आदेश जारी कयि है।

- ट्विटिर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख कयिा है, जसिमें दावा कयिा गया है क िअधनियिम की धारा 69ए के तहत कई अवरुद्ध आदेश प्रक्रयिात्मक रूप से अपर्याप्त हैं।

वर्तमान चुनौतयिाँ:

- मंत्रालय ने कहा क िआईटी अधनियिम की धारा 69ए के तहत कंपनी "कई मौकों पर नर्दिेशों का पालन करने में वफिल रही है"।
- ट्विटिर ने वर्ष 2021 में सरकार के अनुरोध के आधार पर 80 से अधकि खातों और ट्वीट्स की एक सूची प्रस्तुत की जन्हिें ब्लॉक कर दयिा गया था।
- ट्विटिर का दावा है क जिसि आधार पर **मंत्रालय द्वारा कई खातों और पोस्ट को ब्लॉक कयिा गया है, वह या तो "व्यापक और मनमाना" है या "अनयिमति" है।**
- ट्विटिर के अनुसार, मंत्रालय द्वारा चह्निति कुछ सामग्री राजनीतकि दलों के आधकिारकि खातों से संबंधति हो सकती है, जसि अवरुद्ध करना अभवि्यक्त की स्वतंत्रता के अधकिार का उल्लंघन होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी अधनियिम की धारा 69A:

- **परचिय:**
  - यह **केंद्र और राज्य सरकारों** को **"कसिी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषति, प्राप्त या संग्रहीत कसिी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनटिर या डक्रिप्ट करने के लयि"** नर्दिेश जारी करने की शक्त प्रदान करता है।
  - **जनि आधारों पर इन शक्तयिों का प्रयोग कयिा जा सकता है वे हैं:**
    - भारत की संप्रभुता या अखंडता के हति में भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा।
    - वदिेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
    - सार्वजनकि आदेश या इनसे संबंधति कसिी भी संज्ञेय अपराध हेतु उकसाने से रोकने के लयि।
    - कसिी भी अपराध की जाँच के लयि।
- **इंटरनेट वेबसाइटों को ब्लॉक करने की प्रक्रयिा:**
  - **धारा 69A** समान कारणों और आधारों के लयि (जैसा क ऊिपर बताया गया है) केंद्र सरकार को कसिी भी एजेंसी या मध्यस्थों से कसिी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, पारेषति, प्राप्त या भंडारति की गई कसिी भी जानकारी की जनता तक पहुँच को अवरुद्ध करने के लयि कहने में सक्षम बनाती है।
    - **'मध्यस्थों'** शब्द में **सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइटों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस तथा साइबर कैफे** के अलावा **दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा तथा वेब होस्टगि के प्रदाता भी** शामलि हैं।
  - पहुँच को अवरुद्ध करने के लयि ऐसा कोई भी अनुरोध **लखिति में दयि गए कारणों पर आधारति** होना चाहयि।

अन्य संबंधति कानून:

- भारत में समय-समय पर संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000, कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- इसमें सभी 'मध्यस्थ' शामिल हैं जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश) नियम, 2011** में इस उद्देश्य के लिये बनाए गए अलग-अलग नियमों में मध्यस्थों की भूमिका का वर्णन किया गया है।

मध्यस्थों द्वारा अधिनियम का अनुपालन किये जाने का कारण:

- **अंतर्राष्ट्रीय अनिवार्यताएँ:**
  - अधिकांश देशों ने कुछ परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या वेब होस्टिंग सेवा प्रदाताओं तथा अन्य बिचौलियों द्वारा सहयोग को अनिवार्य बनाने वाले कानून बनाए हैं।
- **साइबर अपराध से निपटने हेतु:**
  - वर्तमान में साइबर अपराध और कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित अन्य कई अपराधों से लड़ने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता कंपनियों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
  - ऐसे अपराधों में हैकिंग, डिजिटिल प्रतिरूपण और डेटा की चोरी शामिल होती है।
- **इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने हेतु:**
  - इंटरनेट के दुरुपयोग की संभावनाओं ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इसके दुष्प्रभावों को रोकने हेतु इंटरनेट पर अधिक नियंत्रण के लिये प्रेरित किया है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/information-technology-act-s-section-69a